

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख-3/सुरक्षा) विभाग

क्रमांक प.13(3)कार्मिक/ख-3/सुरक्षा/2011


दिनांक 08.10.2018

—:: परिपत्र ::—

शासन सचिवालय में पार्किंग व्यवस्था के सुचारु प्रबंधन हेतु इस विभाग द्वारा जारी किये गये समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08.08.2018 के अतिक्रमण में निम्न प्रकार के निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन का पंजीयन स्वयं/माता/पिता/पति/पत्नि/संतान के नाम से होने पर ही वाहन का प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा।
2. राज्य सरकार के विभागों को विभाग की क्षमता के अनुसार तीन से सात वाहनों के प्रवेश पत्र जारी किये जावेंगे।
3. शासन सचिवालय के बाहर पदस्थापित अधिकारियों के निजी वाहनों के लिये प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये जावेंगे।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से मान्य होंगे।


(विद्या विजय काला)
वरि. शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त विशिष्ट सहायकगण/निजी सचिवगण, माननीय मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. समस्त विभागाध्यक्षगण, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टरगण, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/वरि. शासन उप सचिव/शासन उप सचिव।
8. समस्त अनुभाग।
9. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सेल।
10. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव